Regional Office (South)
Rajasthan State Pollution Control Board
8/263, Malviya Nagar, Jaipur 302017
Phone: 0141-4068311, e-mail: ro.jaipursouth@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

No. RPCB/ROJP/S/Legal-60/ 6786 — Date: 15.01.2025

The Registrar,
Hon'ble NGT,
Central Zone Bench,
Bhopal.

Sub:- Progress of the Joint committee constituted by Hon'ble NGT, Central Zone Bench, Bhopal in matter of OA No.221/2024 (CZ) "Kamlesh Raj Vs. Union of India & Ors.

Ref:- Hon'ble NGT order dated 25.09.2024.

Sir,

With reference to above subject matter, please find enclosed joint committee report for kind perusal.

Yours sincerely,

Nodal officer cum
Regional Officer

REPORT OF JOINT COMMITTEE CONSTITUTED IN O.A. NO. 221/2024 (CZ) IN THE MATTER OF KAMLESH ROJV/S STATE OF RAJASTHAN& OTHERS ORDER DATED 25.09.2024 PASSED BY HON'BLE TRIBUNAL

1. That Hon'ble National Green Tribunal has been pleased to passed order dated 25.09.2024 and constituted a joint committee consisting:-

   i. *One representative from the department of Water Resources.*

   ii. *One representative from Collector Dudu.*

   iii. *One representative from Collector Jaipur.*

   iv. *One Representative from Rajasthan State Pollution Control Board.*

   Hon'ble Tribunal directed the aforesaid committee to visit the place and submit the factual and action taken report within in six week.The State Pollution Control Board

will be a nodal agency for coordination and logistic support.

2. Thatin pursuance to order dated 25.09.2024District CollectorDudu and JaipurappointedSub-Divisional Officer,Mozamabad, Water Resources Departmentappointed Superintending EngineerandState Pollution Control Board appointed Regional Officer, Jaipur (South).A copy of the orders are submitted herewith and marked as **Annexure-1**.

3. That, thereafter,a meeting was conducted on 09.12.2024 by SDM Mozamabad for discussion the matter and it was decided that a joint inspection should be held by the joint committee on 11.12.2024 and concern departmentsas under:-

   i. ***Sub-Divisional Officer, Mozamabad.(nominated by the District Collector, Dudu and District Collector Jaipur).***

(3)

ii. *Tehsildar, Dudu.*

iii. *Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (South).*

iv. *AssistantEngineer, Water Resources Department, Dudu.*

In pursuance to aforesaid decision, a joint inspection was held on 11.12.2024. Prior to aforesaid joint inspection proper acknowledgement/information has been given to the applicant Sh.KamleshRojthrough Mobile conversation.It is further submitted that, thereafter,a joint inspection was carried outand illegal encroachmentswereobserved at some places.The committee has also directed to concerning Tehsildar and Water ResourcesDepartment to identify all encroachment in the Kalakh Feederand submit action taken report. The committee also took photograph of the site inspection which are annexed along with joint inspection report. A copy of the joint inspection report dated

11.12.2024 along with Photograph is submitted herewith and marked as **Annexure-2**.

4. That a letter written to concerning Departments on 10.12.2024 to submit factual and action taken report which is awaited. Copy ofletter dated 10.12.2024 is submitted herewith and marked as **Annexure-3**.

Report is being submitted for kind perusal of Hon'ble Tribunal.

(Balbir Singh)
Sub-Divisional Officer,
Mozamabad

(D.K. Agarwal)
Water Resources Circle,
Jaipur

(Neeraj Sharma)
(Regional Officer)
R.S.P.C.B., Jaipur (South)

(ANNEX-1) (5)

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141- 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

Helpline No. : 0141-2716877

No. F.10 (655) RPCB/Legal/NGT/2024/ 1241-44 Date: 21|10|24

Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur (South)
Email: - ro. jaipursouth @gmail.com

Subject - Regarding Hon'ble National Green Tribunal, Bhopal order dated 25.09.2024 passed in Original Application No. 221/2024 (CZ), Kamlesh Raj V/s Union of India & Ors.

Sir,

With reference to above subject matter, it is to inform that the Hon'ble NGT has passed an order dated 25.09.2024 and directed inter-alia as follow:-

> *6. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-*
>
> *(i) One Representative from the Department of Water Resources, through the Chief Engineer, Indira Gandhi Nahar, Mandal Office, Jaipur (Rajasthan)*
>
> *(ii) One Representative from the Collector, Dudu, (Rajasthan) and President Environmental Committee,*
>
> *(iii) One Representative from the District Collector, Jaipur, (Rajasthan)*
>
> *(iv) One Representative from the Rajasthan State Pollution Control Board,*
>
> *7. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.*

In light of above Tribunal order, you are hereby nominated as member of the committee as well as Nodal Officer on behalf of RSPCB with the direction to ensure compliance of Hon'ble NGT dated 25.09.2024. Copy of Hon'ble NGT order dated 25.09.2024 is being enclosed for ready reference.

Enclosed-As above

(Vijai N.)
Member Secretary

Copy to following for Information and for further necessary action –

1. District Collector, Jaipur , Rajasthan
2. District Collector, Dudu , Rajasthan
3. Chief Engineer , Department of Water Resources , Indira Gandhi Nahar Mandal office, Jaipur

Signature valid

Digitally signed by N. Vijai Secretary
Designation: Member Secretary
Date: 2024.10.18 1?:24:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 11242673

(6)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट,दूदू(राज.)

क्रमांकः—विधि / एल—94 / 2024 / 3908 **दिनांकः— 21.11.2024**

उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद।

विषयः— माननीय हरित न्यायाधिकरण(NGT) मध्य क्षेत्र भोपाल में दायर प्रार्थना पत्र 221 / 2024(CZ) उनवान कमलेश रोज बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में जिला कलक्टर दूदू के प्रतिनिधि नियुक्ति करने के संबधं में।

प्रसंगः— राजस्थान पोल्युशन कन्ट्रोल बोर्ड जयपुर के पत्रांक No.F.10(655) RPCB /Legal/2024/1241-44 दिनांक 21.10.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक क्रम में लेख है कि माननीय हरित न्यायाधिकरण(NGT) मध्य क्षेत्र भोपाल में दायर प्रार्थना पत्र 221 / 2024(CZ) उनवान कमलेश रोज बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में पारित आदेश की पालना एवं राजस्थान पोल्युशन कन्ट्रोल बोर्ड जयपुर के पत्रांक No.F.10(655) RPCB /Legal/2024/1241-44 दिनांक 21.10.2024 के संदर्भ में आपको जिला कलक्टर दूदू का प्रतिनिधि नामित / नियुक्ति किया जाकर निर्देशित किया जाता है। कि जिला खनन अधिकारी जयपुर से समन्वय स्थापित कर जिला कलक्टर दूदू की ओर से उक्त प्रकरण में आगामी बैठक / सर्वे व अन्य कार्यवाही में प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
दूदू, राज.

क्रमाकः—सम / 2024 / 3909-12 दिनाकः— 21.11.2024

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान पोल्युशन कन्ट्रोल बोर्ड मालवीय नगर,जयपुर।
2. श्रीमान जिला खनन अधिकारी जयपुर।
3. श्रीमान मुख्य अभियन्ता इन्दिरा गॉधी नहर,मण्ड़ल(जल संसाधन विभाग) कार्यालय जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
दूदू, राज.

3889
25/11/24

Document certified by JITENDRA KUMAR SONI <jksoniias@gmail.com>.

Digitally Signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District Magistrate
Date :20-11-2024 07:00:56

RajKaj Ref No.: 11880917

(7)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर
इंदिरा गाँधी नहर भवन, भवानी सिंह रोड ,जयपुर 302005
दूरभाष नम्बर – 0141–2227042 E-mail. Address :- sewwrd@g... .com

No. F.5 (112)/CEWR/SE (W)/OA No.221/2024/2906 Date : 30/10/2024

OFFICE ORDER

Hon'ble NGT vide order dated 25.09.2024 in OA no.221/2024 (CZ), Kamlesh Raj Vs. State of Rajasthan & Ors. has directed as under:

We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original application, from a joint Committee consisting of:-

i. One representative from the Department of Water Resource, through the Chief Engineer, Indira Gandhi Nahar, Mandal Office, Jaipur (Rajasthan)
ii. One representative from the Collector, Dudu, (Rajasthan) and President Environmental Committee,
iii. One representative from the District Collector, Jaipur (Rajasthan)
iv. One representative from the Rajasthan Pollution Control Board.

In this context, Superintending Engineer, Water Resources Circle, Jaipur (Mobile No. 9414375703 & mail address- sejpr.wr@rajasthan.gov.in) is hereby nominated as representative of Water Resources Department, Rajasthan in the Joint Committee.

Next Date of Listing: 13.11.2024

Encl – As above

(Yogesh Kumar Mittal)
Addl. Chief Engineer (HQ & IT)
Water Resources Department,
Rajasthan Jaipur

No. F.5 (112)/CEWR/SE (W)/OA No.221/2024/2907 Date : 30/10/2024

Copy to following for information & needful action please:

1. Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur
2. District Collector, Jaipur, Rajasthan
3. District Collector, Dudu, Rajasthan
4. Additional Chief Engineer, Water Resources Zone...
5. Superintending Engineer, Water Resources Circle...
6. Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control...

Signature valid
Digitally signed by Yogesh Kumar
Designation: Additional Chief Engineer (South)
Date: 2024.10.30 1?:15:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 11506196

(ANNEX-2) (8)

संयुक्त मौका रिपोर्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सैन्ट्रल जोन भौपाल मे विचाराधीन ऑरिजनल एप्लीकेशन 221/2024 (सी.जेड)कमलेश रोज बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे माननीय एन.जी.टी.के आदेश दिनांक 25.09.2024 के द्वारा संयुक्त कमेटी का गठन कर वास्तविक एवं कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये गये। मौका निरीक्षण से पूर्व शिकायतकर्ता श्री कमलेश रोज को भी मौके पर उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में संयुक्त कमेटी के निम्न अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.12.2024 को श्री कमलेश रोज की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया।

1. उपखण्ड अधिकारी मोजमाबाद
2. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर
3. सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड दूदू
4. तहसीलदार दूदू

कमेटी द्वारा छापरवाडा बांध मे पानी की आवक के मुख्य स्त्रोत का मौका निरीक्षण किया गया जिनकी संयुक्त मौका रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

1. संयुक्त टीम द्वारा सर्वप्रथम छापरवाडा बांध मे पानी की आवक नहर कालख फीडर का (कालख नहर की नाली नम्बर 12 से) निरीक्षण किया गया । जिसमेछापरवाडा बांध की आवक नहर कालख फीडर मे राजस्व ग्राम अनन्तपुरा ,अखैपुरा से राजस्व ग्राम पालखुर्द तहसील मोजमाबाद तक राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहर में पानी के बहाव मे कोई अवरोध नही पाया गया । फोटोग्राफ Annex. 1पर संलग्न है।
2. राजस्व ग्राम सावरदा एवं पालूखुर्द तहसील मोजमाबाद मे छापरवाडा बांध की आवक नहर कालख फीडर का निरीक्षण किया गया मौके पर राजस्व ग्राम सावरदा में नहर निजी खसरो 4236/3843 ,3837/3635, 3635, 3634, 4303/3633 , 4304/3637, 3836/3632, 3630 ,4238/4231 तथा राजस्व ग्राम पालूखुर्द में मौके पर नहर निजी खसरो ख0न0 154 , 166/1 में से होकर गुजर रही है उपरोक्त निजी खसरो मे नहर को क्षतिग्रस्त कर समतल करना पाया गया।साथ ही इन खसरो मे पानी का बहाव अवरूद्ध होना पाया गया |फोटोग्राफ Annex. 2पर संलग्न है।

3. राजस्व ग्राम सावरदा मे ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नहर के कुछ हिस्से मे (खसरा नम्बर 3629) पर राष्ट्रीय राजमार्ग बना हुआ पाया गया साथ ही शेष हिस्सा खसरानम्बर 3613 मे पानी का बहाव नही होने के कारण कास्तकारो द्वारा नहरी भूमि पर अतिक्रमण करना पाया गया ।फोटोग्राफ Annex. 3पर संलग्न है।
4. तत्पश्चात राजस्व ग्राम गिदानी मे छापरवाडा बांध की आवक नहर कालख फीडर का निरीक्षण किया गया राजस्व ग्राम गिदानी मे नहर के पास स्थित उद्योगM/s Magnatix Rocks Pvt Ltd संचालित होना पाया गया। फेक्ट्री द्वारा नहर मे किसी भी प्रकार का मलबा डाला जानानही पाया गया | साथ ही फेक्ट्री केपास नहर मे पानी का बहाव भी अवरूद्ध होना नही पाया गया।फोटोग्राफ Annex. 4पर संलग्न है।
5. तत्थपश्चात राजस्व ग्राम गुढासायपुरा मे नहर का निरीक्षण किया गया मौके पर नहर मे जंगल सफाई कार्य करना पाया गया साथ ही नहर मे पानी के बहाव मे किसी प्रकार का कोई अवरोध नही पाया गया ।फोटोग्राफ Annex. 5पर संलग्न है।
6. तत्पश्चात संयुक्त टीम द्वारा राजस्व ग्राम दूदू मे गंगासागर बांध से निकलने वाले नाले का निरीक्षण किया गया । राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप नाले के पास स्थित भूमि खसरा नम्बर 1654, 1655, 1656, 8669/2214, 8670/2214, 2215, 2216, 2217कुल क्षेत्रफल 92796 वर्गमीटर का जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा M/s Chiripal Renewable Energy Pvt Ltd को पत्र क्रमांक 1988 दिनांक 29.03.2023 के द्वारा औद्योगिक परियोजनार्थ हेतु आदेश जारी किये गये एवं खसरा नम्बर 1657 नगर परिषद दूदू, जिला दूदू द्वारा अकृषि (औद्योगिक)

परियोजन के लिए M/s Chiripal Renewable Energy Pvt Ltd के नाम से सम्परिवर्तित आदेश दिनांक 07.02.2024 जारी किये गये (प्रति संलग्न)। वर्तमान में उक्त भूमिM/s Grew Energy Pvt Ltdद्वारा 30 वर्ष की लीज पर लिया गया है एवं सोलर पी.वी. मॉड्यूलस (Solar PV Modules)बनाये जाने का कार्य संचालित होना पाया गया। उपरोक्त फेक्ट्री के पास नाले मे मलबा डालकर नाले में पानी का बहाव अवरूद्ध होना नही पाया गया। फोटोग्राफ Annex. 6पर संलग्न है।

7. तत्पश्चात राजस्व ग्राम दूदू मे खसरा नम्बर 1657 किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ (निजी खातेदारी)का निरीक्षण किया गया जिसमे मोके पर किसी प्रकार की पाल मोजुद नही थी तथा उक्त खसरे पर निर्माण कार्य करना पाया गया ।फोटोग्राफ Annex. 7पर संलग्न है।
8. तत्पश्चात संयुक्त टीम द्वारा छापरवाडा बांध मे पानी की मुख्य आवक इटाखोई फीडर का निरीक्षण किया गया । इटाखोई फीडर मे कोई अतिक्रमण नही पाया गया साथ ही फीडर मे पानी का बहाव भी अवरूद्ध होना नही पाया गया।

मौका निरीक्षण के दौरान संयुक्त कमेटी द्वारा संबंधित विभाग तहसीलदार दूदू, तहसीलदार मोजमाबाद एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को सभी अतिक्रमण चिन्हित कर नियमानुसार कार्यवाही कर सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं मौका स्थल के फोटोग्राफ भी लिये गये जोकि संलग्न है।

क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर	उपखण्ड अधिकारी मोजमाबाद	सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड दूदू	तहसीलदार दूदू

(ANNEX-1)
(11)

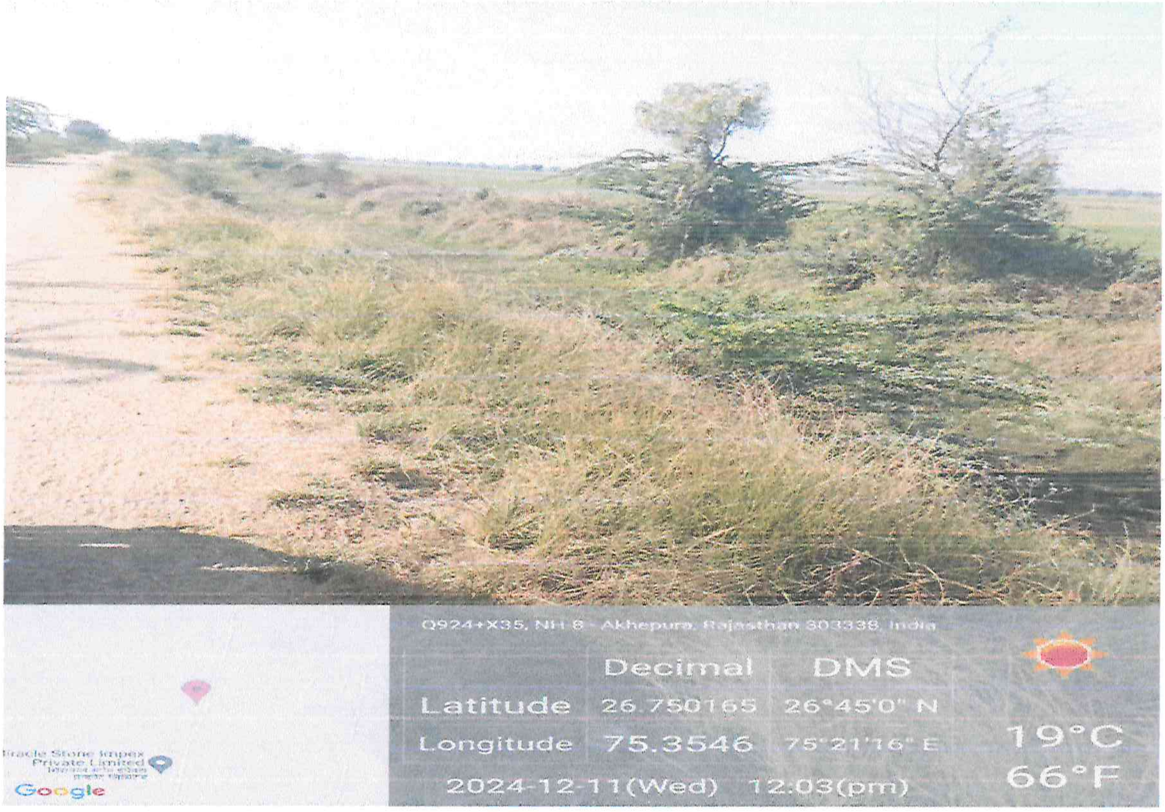

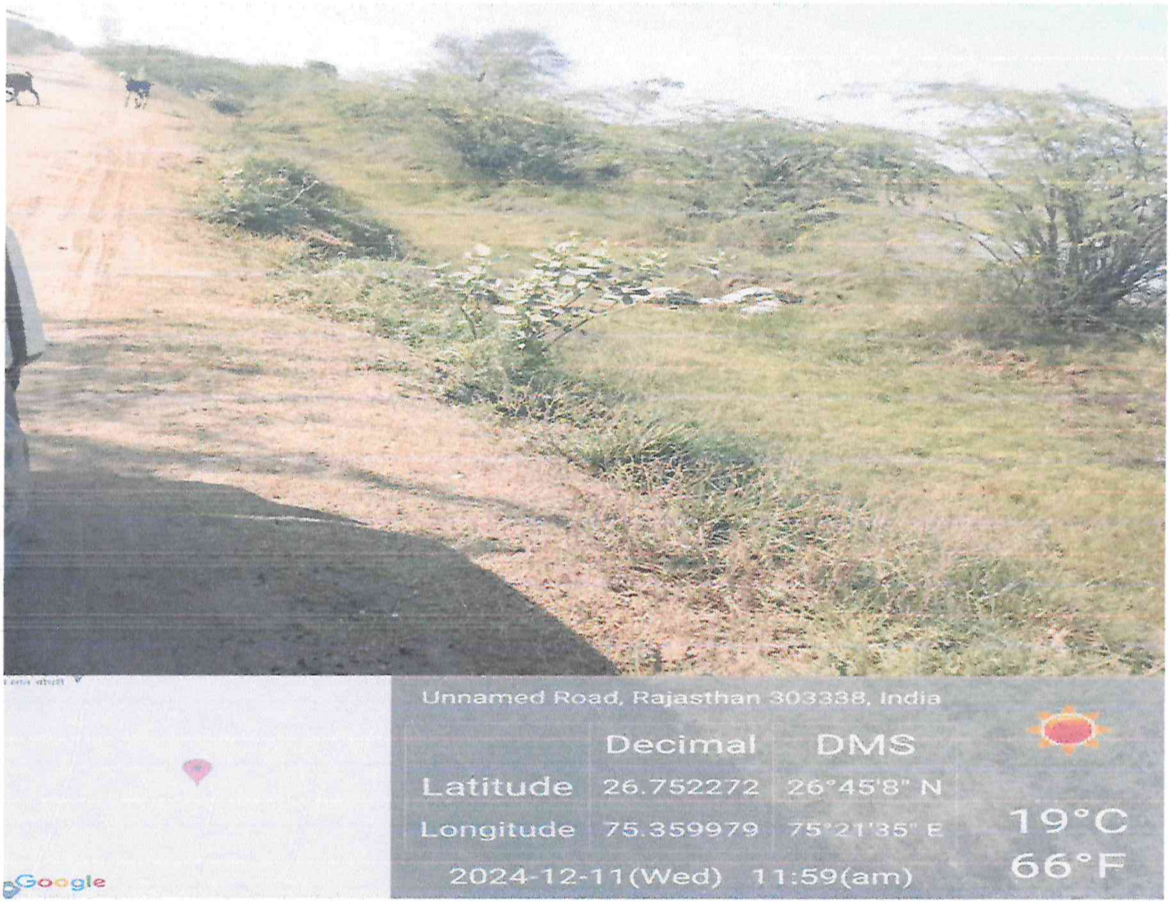

Picture 1: **Kalakh Feeder Annantpura & Akheypura.**

(ANNEX-2) (12)

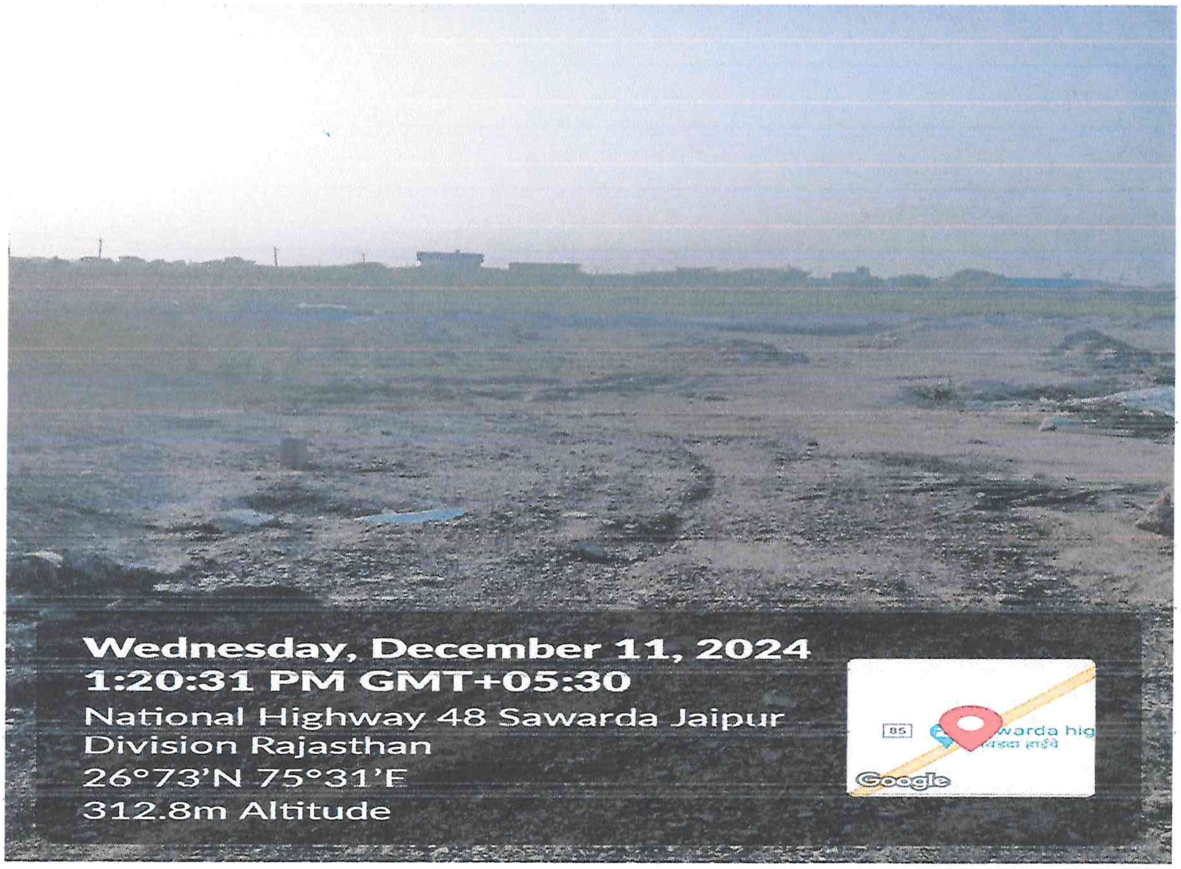

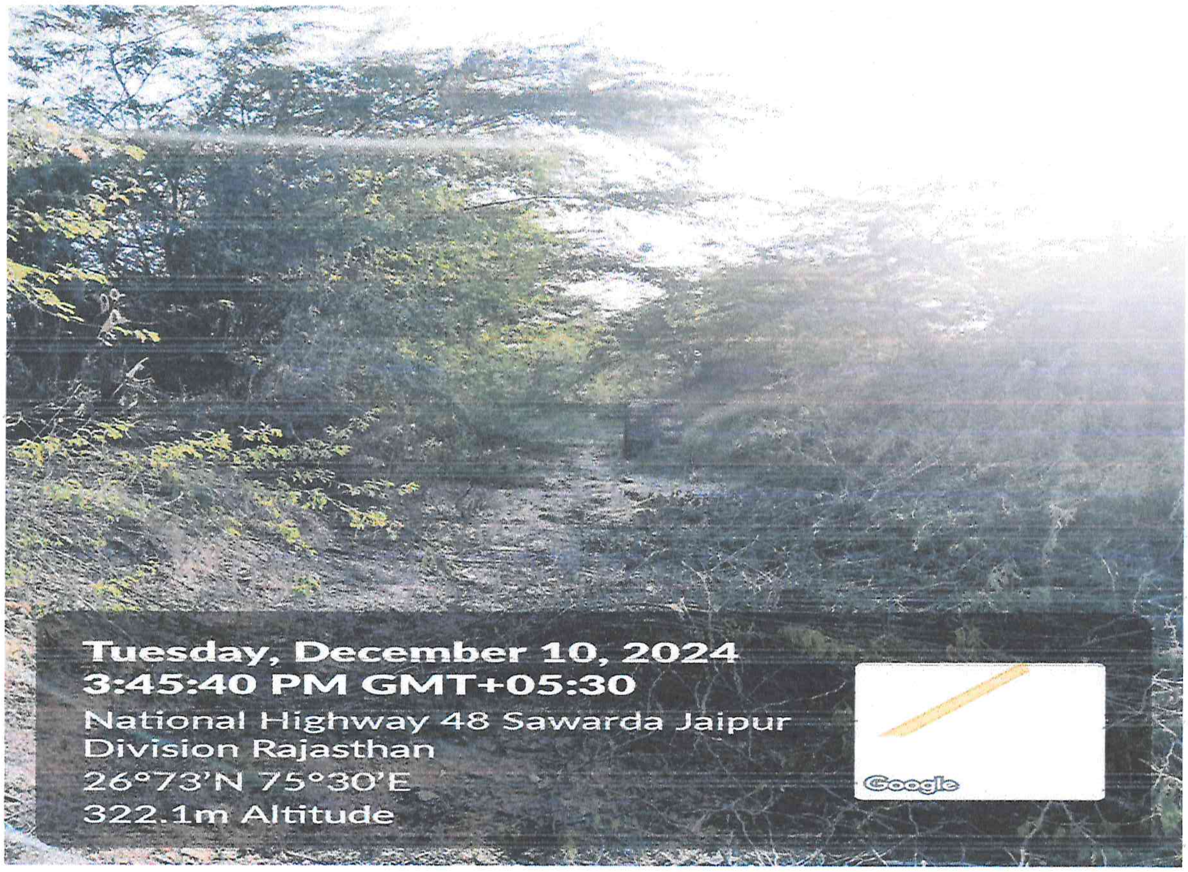

Picture 2: **Kalakh Feeder Sawarda.**

(ANNEX-3) (13)

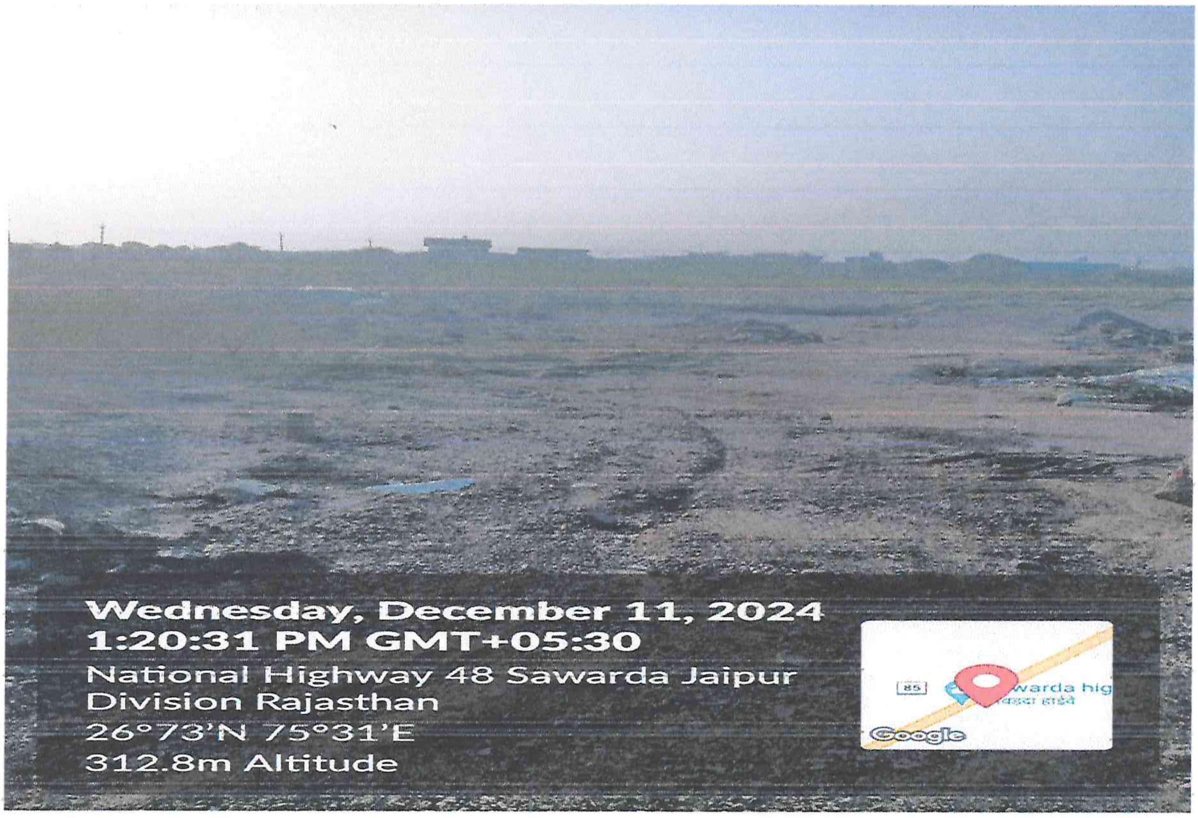

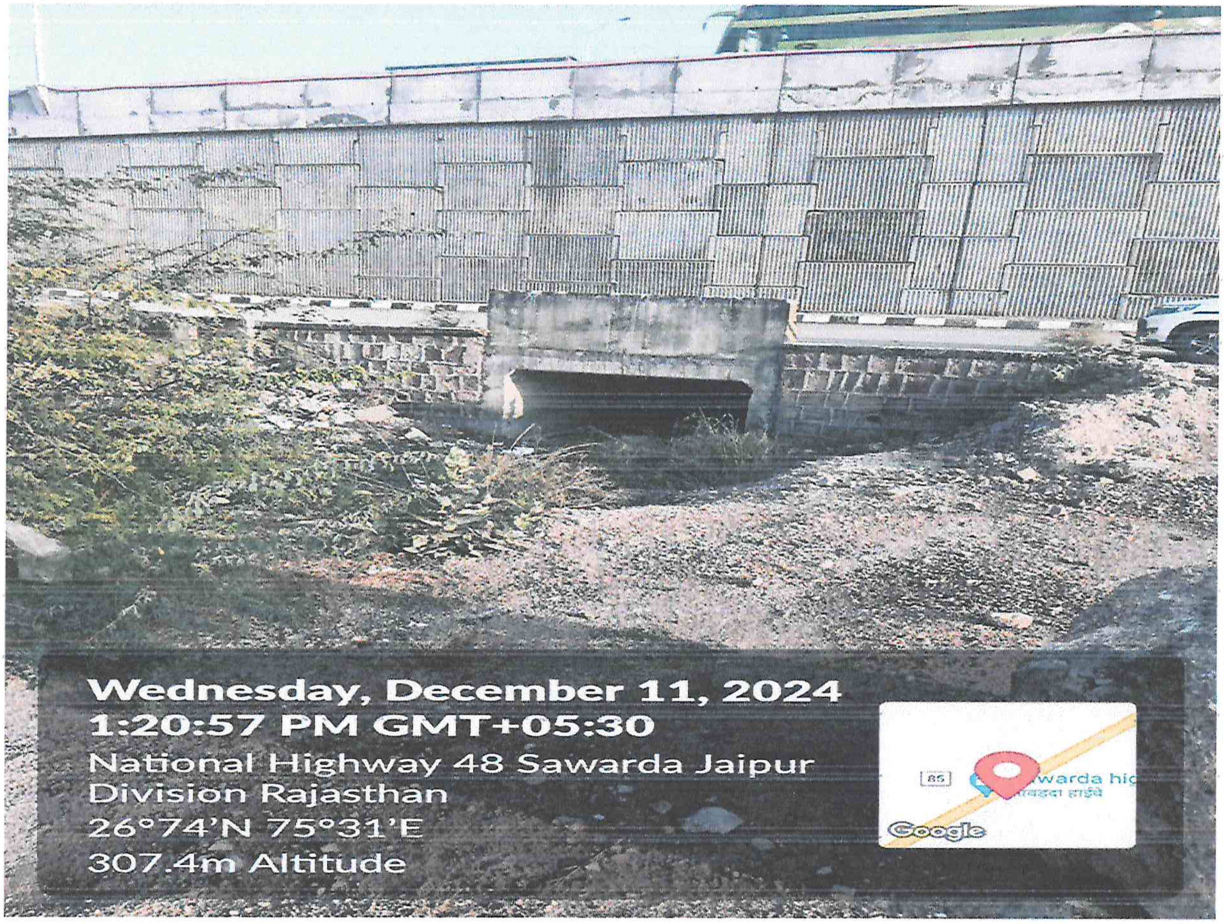

Picture 3: **Kalakh Feeder National Highway Sawarda.**

(Annex-4)
(14)

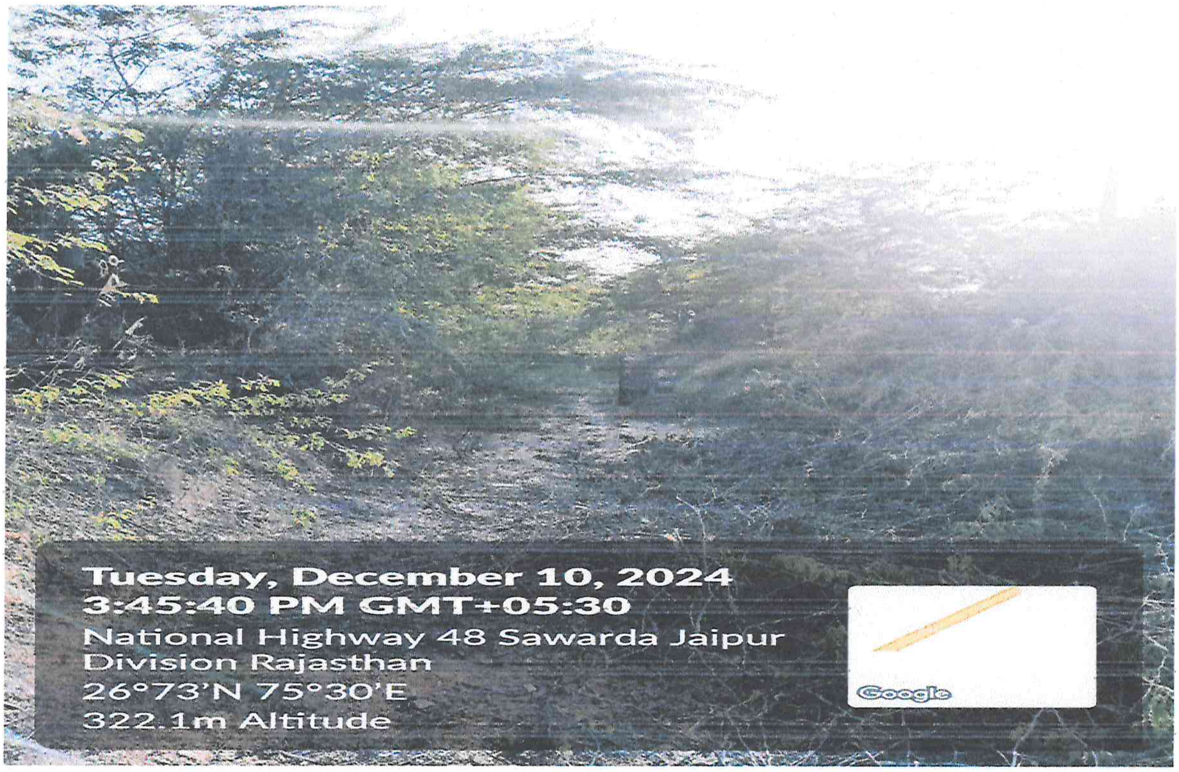

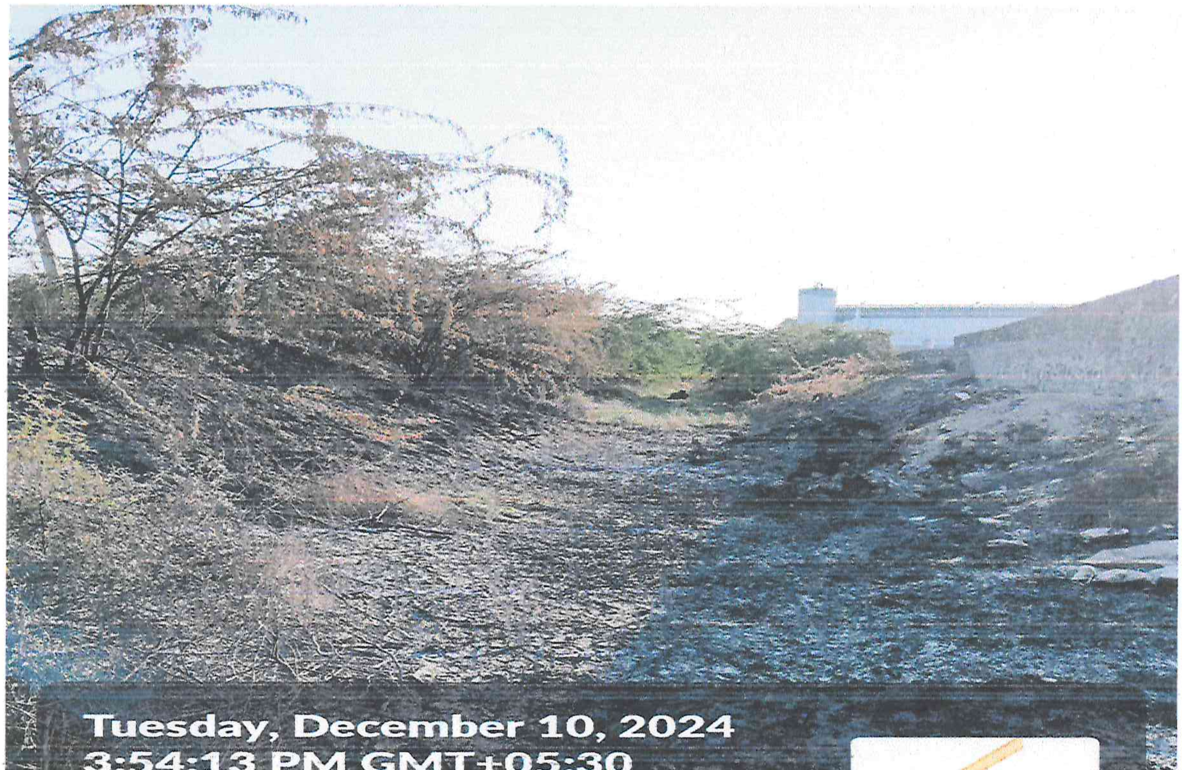

Picture 4: Kalakh Feeder Back side of Magnetic Rocks Pvt. Ltd, Sawarda.

(ANNEX-5)

(15)

Picture 5: **Kalakh Feeder Gudha Saipura.**

(ANNEX-6)
(16)

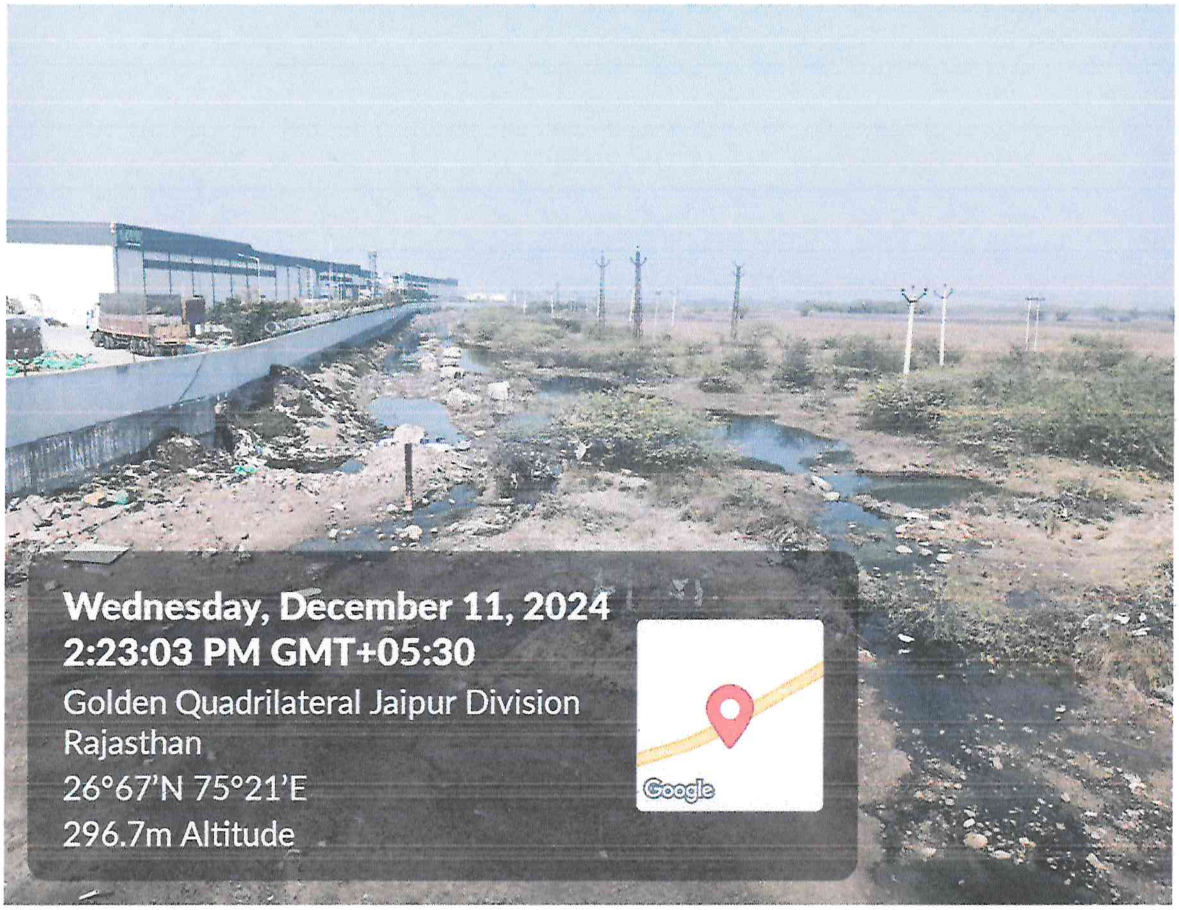

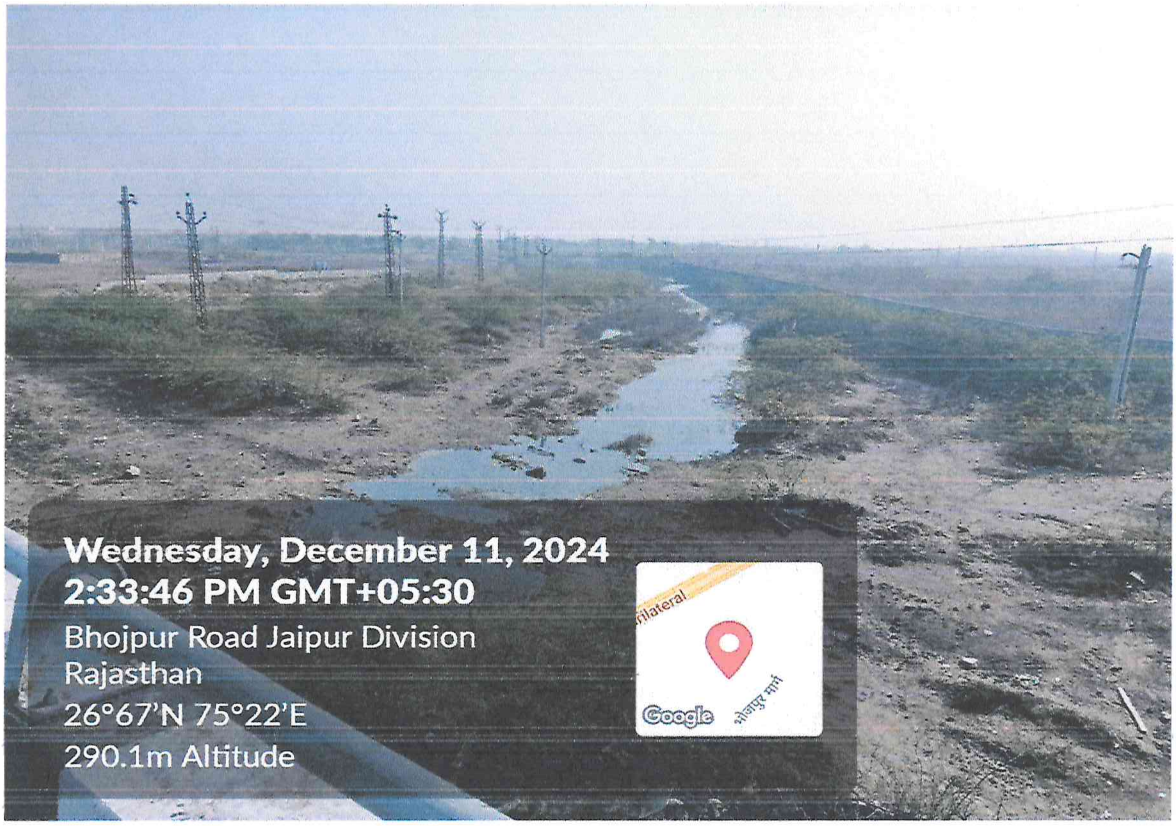

Picture 6: **Nallah from Gangasagar Dam Near Grew Energy Pvt. Ltd. Bhojpur Road & NHAI**

कार्यालय जिला कलेक्टर जयपुर

क्रमांकः आर.18बी(24)2022/उ0/1988 दिनांकः– 29/8/2023

संपरिवर्तन आदेश

मैसर्स चिरिपाल रिन्युऐबल एनर्जी प्रा0लि0, सा शान्ति कॉरपोरेट हाउस हीरा रूपाहाल बोपाल अंबली रोड बोपाल अहमदाबाद के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम–2007 एवं द्वितीय संशोधन नियम 2021 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियॉ नीचे दी गई है:–

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	मैसर्स चिरिपाल रिन्युऐबल एनर्जी प्रा0लि0, सा शान्ति कॉरपोरेट हाउस हीरा रूपाहाल बोपाल अंबली रोड बोपाल अहमदाबाद
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है?	नहीं
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :– (अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/ तहसील का नाम	ग्राम व ग्राम पंचायत दूदू तहसील दूदू।
	(ब) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 1654 रकबा 1.22 हेक्टे. खसरा नम्बर 1655 रकबा 0.030 हेक्टे. खसरा नम्बर 1656 रकबा 1.60 हेक्टे. खसरा नम्बर 2214 रकबा 0.51 हेक्टै. खसरा नम्बर 2215 रकबा 1.90 हेक्टे. खसरा नम्बर 2216 रकबा 3.76 हेक्टे. खसरा नम्बर 2217 रकबा 7.70 हेक्टे. कुल रकबा 9.79 हेक्टे.
	(स) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल(हेक्टे. या व0मी0)	खसरा नम्बर 1654 में से 12200 खसरा नम्बर 1655 में से 300 व0मी0 खसरा नम्बर 1656 में से 16000 खसरा नम्बर 2214 (नवीन खसरा नम्बर 8669/2214 , 8670/2214)में से 3530 व0मी0 खसरा नम्बर 2215 में से 19000 व0मी0, खसरा नम्बर 2216 में से 34150 व0मी0 खसरा नम्बर 2217 में से 7616 व0मी0 कुल 92796 व0मी0 भूमि रूपान्तरित की गई है।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
5	संदेय प्रीमियम की दर	उद्योग विभाग द्वारा RIPS 2019 के तहत जारी प्रमाण पत्र संख्या रिप्स/2019/2022/ 11958 दिनांक 17.6.2022 के तहत संपरिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट है।
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	जिला उद्योग केन्द्र ग्रामीण जयपुर (ग्रामीण) द्वारा RIPS 2019 के तहत जारी प्रमाण पत्र संख्या रिप्स/2019/2022/ 11958 दिनांक 17.6.2022 के तहत प्रकरण में आवेदित भूमि पर रूपान्तरण के पेटे कोई प्रभार देय नहीं है।
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम	–
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई, की जमा करायी गई रकम	–
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	आवेदित भूमि पर 244व0मी0 भूमि पर निर्माण होने के कारण संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम–13 के अंतर्गत 86,815/– नियमितिकरण शुल्क देय होने पर जीआरएन संख्या 73683385 दिनांक 27.3.2023 द्वारा राशि 86,815/– जमा राजकोष करवाई गई।
10	अन्य विशिष्टियॉं, यदि कोई हो।	–

(18)

11– उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–

(1) उपरोक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि या बढाई गई कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी तथा आवेदक के द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम समपृहत हो जावेगा।

(3) नियम– 4 में वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(4) इंडियन रोड कांग्रेस से प्रभावित भूमि में कोई निर्माण /उपयोग नहीं किया जावेगा व संपरिवर्तित भूमि का उपयोग / निर्माण भी इस संबंध में लागू आई0आर0सी0 व एन0एच0ए0आई0 के नियमों/प्रावधानों व गाईड लाईन अनुसार ही किया जावेगा तथा इस संबंध में सडक के केन्द्र बिन्दु से बिल्डिंग लाईन एवं कन्ट्रोल लाईन के भीतर निर्माण संक्रियाऍ उक्त सडकों के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं की जावेगी।

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित राजमार्ग से रास्ता चाहते है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।

(6) संपरिवर्तित भूमि का निर्माण/उपयोग निकटस्थ नगरपालिका /स्थानीय निकाय की लागू उपविधियों के अनुसार एवं निर्धारित सेटबेक छोडते हुए किया जा सकेगा।

(7) राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक प.6(6)राज–6/92/पार्ट/21 दिनांक 27.6.2007 एवं प. 6(6)राज–6/92/पार्ट/23 दिनांक 17.7.2007 एवं एफ.6(26)राज–6/2014/33 दिनांक 6.10.2016 की पलाना सुनिश्चित की जावेगी।

(8) आवेदित भूमि मे से यदि पैट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही है तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.5.2008 अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधी में तथा पेट्रोलियम व पेट्रो–केमिकल इंस्टालेशन स्थित हो तो उसकी सीमा से 300 मीटर की परिधी में कोई भी निर्माण /उपयोग कार्य नहीं किया जावेगा।

(9) समस्त संदर्भ में किसी भी नियम/कानून/विभाग या संस्था के मानदण्डानुसार किसी प्रकार की अनापत्ति/लाईसेन्स/अनुमति या क्लीयरेन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही रूपान्तरित भूमि का उपयोग /निर्माण विहित प्रयोजन हेतु किया जा सकेगा।

(10) राजस्थान भू राजस्व संपरिवर्तन नियम 2007 में वर्णित शर्तो एवं इसके अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

(11) प्रकरण में किसी भी प्रकार की देयता के संबंध में देय राशि भूमिधारक /आवेदक को तत्काल जमा करानी होगी अन्यथा नियमानुसार वसूली की जा सकेगी।

(12) प्रदूषण नहीं फैलाया जावेगा तथा पर्यावरण एवं प्रदूषण के संबंध में जारी समस्त नियमों, कानूनों, निर्देशों इत्यादि की पालना की जावेगी।

(13) अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड जयपुर के पत्र कमांक 3964 दिनांक 8.2.2023 अनुसार केचमेन्ट/बहाव क्षेत्र को किसी भी प्रकार से बाधित/प्रभावित नहीं किया जा सकेगा। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण, अकृषिक उपयोग नहीं किया जावेगा ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर

कमांकः आर.18बी(24)2022/उ0/ 1989-94 दिनांकः– 29/3/2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा कलेक्ट्रेट जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, दूदू।
3. तहसीलदार तहसील दूदू।
4. सरपंच ग्राम पंचायत दूदू पं0स0 दूदू।
5. मैसर्स चिरिपाल रिन्युऐबल एनर्जी प्रा0लि0, सा शान्ति कॉरपोरेट हाउस हीरा रूपहिल बोपाल अंबली रोड बोपाल अहमदाबाद
6. आदेश/गार्ड पत्रावली।

29/3/23
(दिनेश कुमार शर्मा)
अति0 कलक्टर–प्रथम एवं
प्रभारी अधिकारी–राजस्व शाखा
कलेक्ट्रट जयपुर

प्रारूप–[illegible]
(नियम 7 (1) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर परिषद दूदू, जिला दूदू

क्रमांक सं. [illegible] दिनांक [illegible]
आवेदक के बारे

M/S CHIRIPAL RENEWABLE ENERGY PVT. LTD. [illegible] कॉर्पोरेट हाउस, [illegible] शांतिग्राम बोपाल आंबली रोड, बोपाल, अहमदाबाद।

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन भूमि [illegible] गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने हेतु।

आदेश

दिनांक [illegible]

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :–

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का अकृषि (औद्योगिक) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :–

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं. व क्षेत्र
दूदू, दूदू	ग्राम दूदू	खसरा नं. 1657 रकबा 0.2900 हैक्टेयर (अर्थात 2900 वर्गमीटर)

(2) यह कि आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम जमाबंदी की प्रति, राजस्व [illegible] सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, [illegible] सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

(3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों / नक्शों का [illegible] गये, संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की [illegible] का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि [illegible] प्रयोजन के लिए [illegible] उपयोग मास्टर योजना / विकास योजना / स्कीम के अनुरूप है और आवेदन के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान [illegible] अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर [illegible] अधिकार निर्वापित करके भूमि का अकृषि (औद्योगिक) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

कार्यालय तहसीलदार दूदू जिला दूदू
क्रमांक/RR/2024/31 दि. 15.0[illegible].2024
[illegible]
[illegible] कार्यवाही हेतु [illegible]
तहसीलदार
[illegible] जिला दूदू

(3) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम के अनुसार ग्राम दूदू, तहसील दूदू, जिला दूदू के राजस्व खसरा नं. 1667 रकबा 0.2900 हैक्टेयर (अर्थात 2900 वर्गमीटर) भूमि सम्पूर्ण के आवंटित अधिकारी को उक्त भूमि का अकृषि (औद्योगिक) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु [illegible] और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि की [illegible] भूमि का उक्त भूमि की आवेदक / आवंटी द्वारा [illegible] व्यक्तियों को उक्त [illegible] के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार [illegible] प्राधिकारी के अधीन रखा गया समझा जायेगा।

(4) यह कि इन नियमों के अधीन लिखित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबन्धनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक [illegible] को जारित किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी

नगर परिषद, दूदू

क्र. [illegible] दिनांक [illegible]

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की जाती :–

1. सचिव / मुख्य नगर परिषद, स्थानीय प्राधिकरण दूदू।
2. तहसीलदार, दूदू तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. सम्बन्धित खातेदार M/S CHIRIPAL RENEWABLE ENERGY PVT. LTD.

प्राधिकृत अधिकारी

नगर परिषद, दूदू

Scanned with OKEN Scanner

(ANNEX-7) (21)

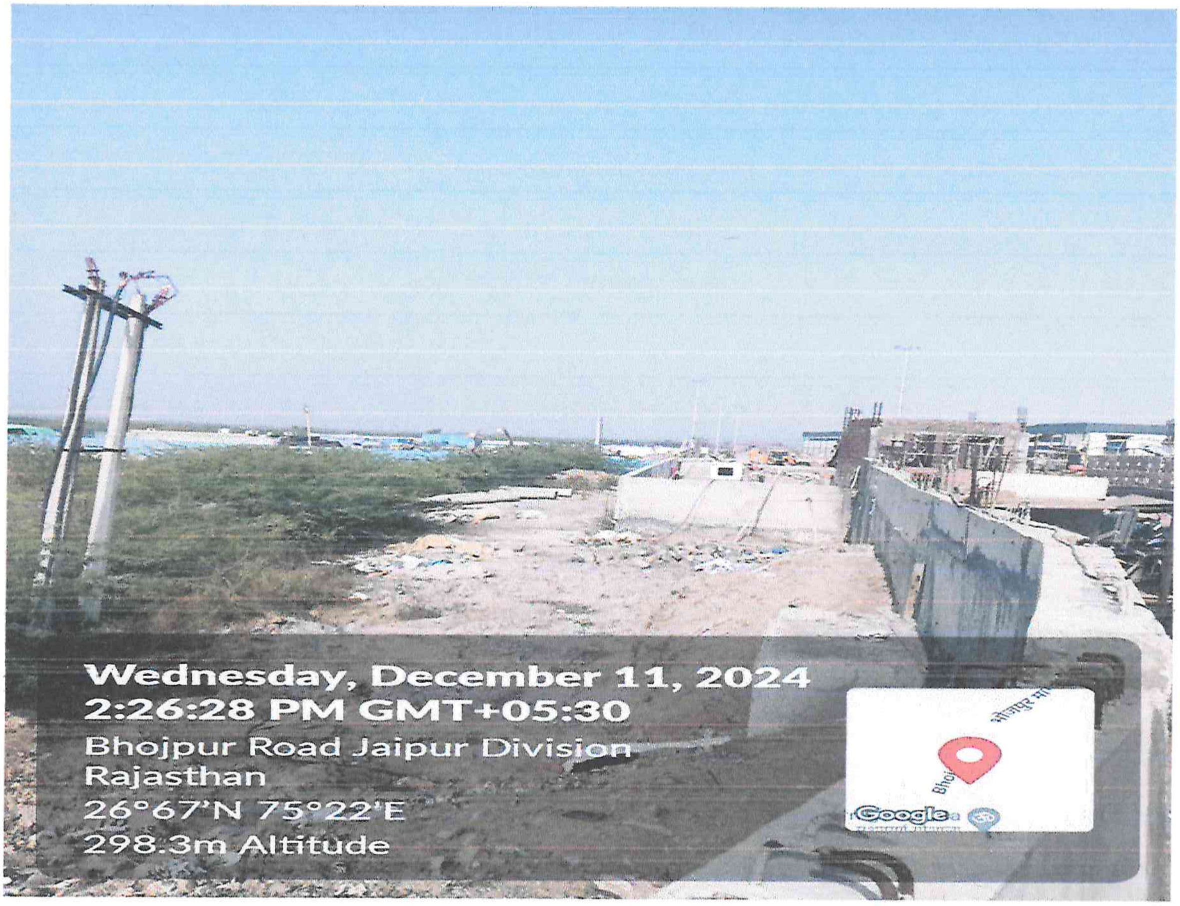

Picture 7: __Grew Energy Pvt. Ltd., Kh. No. 1657, Bhojpur Road.__

(ANNEX-3) (22)

Regional Office (South)
Rajasthan State Pollution Control Board
8/263, Malviya Nagar, Jaipur 302017
Phone: 0141-4068311, e-mail: ro.jaipursouth@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांकः रा.रा.प्र.नि.म. / क्षे.का. / जयपुर(द.) / लीगल–60 / 5602-5610 दिनांकः 10.12.2024

1. उपखण्ड अधिकारी,
   मौजमाबाद / दूदू।
2. अधीक्षण अभियंता,
   जल संसाधन विभाग, सर्किल जयपुर।
3. तहसीलदार,
   मौजमाबाद / दूदू।

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सैन्ट्रल जॉन भोपाल में विचाराधीन ऑरिजनल एप्लीकेशन 221 / 2024 (सी.जेड) कमलेश राज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य।

संदर्भ :– माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 25.09.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25.09.2024 को आदेश पारित कर मौका निरीक्षण करने हेतु संयुक्त कमेटी का गठन कर वास्तविक एवं कार्यवाही रिर्पोट प्रस्तुत करने को कहा गया है ।

इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 09.12.2024 को बैठक का आयोजन कर निर्णय लिया गया कि दिनांक 11.12.2024 को सभी संबंधित विभागों द्वारा मौका निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। अतः आपसे निवेदन है कि दिनांक 11.12.2024 को प्रातः 11 बजे निजी सचिव **श्री खेमसिंह चौधरी, उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद (मो. 97820 01595)** से समन्वय स्थापित कर मौका स्थल पर आवश्यक सूचना के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

भवदीय

संलग्न उपरोक्तानुसार

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, दूदू।
3. सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.म. जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, इन्दिरा गांधी नहर भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर।

क्षेत्रीय अधिकारी